(1) मार्च, 1995 तक विद्यमान वाशरियों में सभी आधुनिक निर्माण कार्य को त्वरिता से पूरा किया जाना ताकि इस्पात संयंत्रों को 17±0.5% राख वाले कोयले की आपूर्ति की जा सके ।

(2) कच्चे कोककारी कोयले की उपलब्धता में, विभिन्न चालू कोककारी कोयला परियोजनाओं पर निकटतम निगरानी रखने की दृष्टि से वृद्धि किया जाना ।

(3) 2 निर्माणाधीन कोककारी कोयला वाशरियों को तीव्रता से चालू किया जाना; भा० को० को० लि० में मधुबंध (2.50 मि० टन प्रतिवर्ष) तथा से० को० लि० में केडला (2.60 मि० टन प्रतिवर्ष) ।

(4) देश में उपलब्ध निम्न ज्वलनशील मध्यम कोककारी कोयला की धुलाई के लिए अतिरिक्त वाशरी क्षमता स्थापित किया जाना ।

(5) इस्पात संयंत्रों के लिए असम तथा मेघालय क्षेत्रों से अधिक मात्रा में कम राखीय कोयले का लाया जाना ।

दल की सिफारिशों को सरकार द्वारा मार्च, 1994 में मान लिया गया है तथा को० इं० लि० से कहा गया है कि कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन समय बद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जाए ।

उत्तरी भारत कोयले की आपूर्ति

4275. **श्री रामजी लाल** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कोयले की गुणवत्ता में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला उत्पादक क्षेत्रों से उत्तरी भारत को विशेष रूप से हरियाणा में हिसार को इस कोयले की आपूर्ति पुरानी दरों पर की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोयले की गुणवत्ता संबंधी नीति पर फिर से विचार करने का और भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को बढ़िया किस्म के कोयले की आपूर्ति करने हेतु अनुदेश जारी करने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप में कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा की आपूर्ति के संबंध में निर्णय बायलरों के विशिष्ट मानदंडों तथा अन्य उपकरणों के आधार पर लिया जाता है और तदनुसार उपयुक्त स्रोत से कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है । कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार के मामले में कोयला कंपनियों द्वारा निरन्तर प्रयास किए जाते हैं । इस संबंध में प्राप्त परिणामों का उल्लेख आसानी से नहीं किया जा सकता है, केवल इसका अनुमान गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायतों की प्रवृत्ति से ही लगाया जा सकता है । कोयला कंपनियों को कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जोकि अधिकांशतः कोयले के ग्रेड में गिरावट तथा कोयले में कंकड़ तथा पत्थर के होने और आपूर्तित किए गए कोयले में अवशिष्ट सामग्री होने के संबंध में होती हैं ।

विभिन्न ग्रेड के कोयले की कीमतों का केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है । कोयले की कीमतें कोयले का प्रेषण करते समय चालू कीमतों के आधार पर आपूर्तित किया जाता है । यदि किसी क्षेत्र का कोई उद्योग विशिष्ट यूनिट, जिसमें उत्तर भारत का हिसार अथवा हरियाणा शामिल हैं, उसे आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत है तो वे विशिष्ट मामले को कोयला कंपनी अथवा सरकार के नोटिस में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लाएं ।

भारतीय कोयला सामान्यतः अन्तर-बैडों के साथ कंकड़/पत्थर, आदि के साथ परतों में पाया जाता है । बहुत प्रयास किए जाने के बाद भी खनन तथा रख-रखाव प्रक्रिया के दौरान कोयले से कंकड़/पत्थर, आदि को पूरी तरह से अलग किया जाना संभव नहीं है । किन्तु कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) फीडर ब्रेकरों तथा कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना किए जाने के लिए एक कार्रवाई योजना क्रियान्वित की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को आकारीकृत कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चय किया जा सके ।

(2) लदान के समय कोयले से पत्थरों को अलग किए जाने के लिए व्यवस्था की गई है ।

(3) कंकड़ तथा पत्थर के टुकड़ों को उठाए जाने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्रों को धीमी गति की पिकिंग बैल्टें मुहैया की जा रही हैं ।

(4) कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लदान स्थल पर ही बेहतर पर्यवेक्षण का सुनिश्चय किया जा रहा है और कार्यरत कामगारों, पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता उत्पन्न की जा रही हैं ।

(5) विद्यमान कोककार कोयला वाशरियों में सुधार तथा आधुनिकीकरण ।

(6) इस्पात संयंत्रों के प्रयोग के लिए कोककर कोयले की धुलाई के लिए नई वाशरियों की स्थापना किया जाना ।

(7) कोयला क्षेत्रों से 1000 कि० मी० से अधिक की दूरी पर स्थित कुछ विद्युत गृहों के लिए परिष्कृत कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए कोयला परिष्करण परियोजनाओं की स्थापना किया जाना ।

(8) हाल ही में, एक कानून भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत निजी पार्टियों द्वारा कोयले का परिष्करण किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है ।

Protection of domestic coal industry and coal workers

4276. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Coal India Limited has the capacity to produce enough quantities of coal required for domestic consumption ;

(b) whether the very infrastructure of the coal industry is threatened by the proposed liberalisation of the import of coal ; and

(c) if so, what steps does the Government intend to take to protect the domestic coal industry and the employment of coal workers ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) Coal India Limited (CIL) has registered significant improvements in both coal production and coal off-take. It is estimated that the likely production and accumulated stocks with the indigenous coal companies may be adequate to meet the non-cooking coal requirements of the country up to the end of the Eighth Plan period.

(b) and (c) With the recent reduction of import duly on non-cooking coal from 85% to 35%, the landed cost of imported coal at some thermal power stations near the ports may be lower than the landed cost of indigenous coal. Some other consumers may also resort to coal imports. These quantities however may not be very substantial when compared to overall demand.

Following are some of the steps being taken by Coal India Limited to meet the competition from imported coal :—

(1) Ensuring adequate and timely supply of coal to consumers.

(2) Setting up feeder breakers and coal handling plants for proper sizing and ensuring supply of coal free from extraneous materials.

(3) Encouraging washeries for non-cooking coal in the private as well as public sectors to ensure improved and consistent quality of coal supplies.

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की कोयला खदानों में दुर्घटनाएं

4277. **श्री राधवजी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की कोयला खदानों में कितने श्रमिक दुर्घटनाओं में मरे हैं ;

(ख) प्रत्येक मृतक के परिवार को खदान मालिक द्वारा कितनी राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है; और

(ग) मृतक के परिवार को कितनी सहायता राशि दिया जाना शेष है और वह कब तक दे दी जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की कोयला खानों में दुर्घटना में 10 कामगारों की मृत्यु हुई थी । प्रत्येक मृतक के नाम सहित आश्रितों को दी गई सहायता की राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(रूपए में)

मृतक का नाम	अनुग्रह की राशि	मुआवजे की राशि	विशेष अनुग्रह की राशि
सुखलाल	10,000	78,824	—
जगदीश प्रसाद . . .	10,000	84,716	—
मतय्या	10,000	75,824	—